<u>आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर</u>

आर्म्स अपील वाद संख्या –267 / 2022

अमर नाथ चौधरी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

<u>आदेश</u>

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
17.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No. 3794 / 2020 में दिनांक 27.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–553 दिनांक 27.09.2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है, जिस आदेश से जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन को अस्वीकृत किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2022 में अंकित है कि :– **“It is needless to state that in case appropriate appeal is filed by the petitioner within a period of four weeks from today, the same shall be considered on merits and the Appelate Authority shall be dispose off the same in accordance with law, within a period of 12 weeks thereafter.”** माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	गई। अभिलेख प्राप्त कर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उनके (अपीलकर्ता) पिता स्व0 लक्ष्मीकांत चौधरी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी थे, जिन्हें वर्ष 1982 में सत्यापनोपरांत शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त हुई थी एवं उन्होंने शस्त्र अनुज्ञप्ति के सभी शर्तो का पालन करते थे। इनकी मृत्यु दिनांक 03.08.2020 को हो गयी एवं वे (अपीलकर्ता के पिता) जब जीवित थे तब से ही उक्त अनुज्ञप्ति को अपने पुत्र के नाम हस्तांतरण कराना चाहते थे क्योंकि उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो गयी थी। अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी ने उक्त के संबंध में अपने पत्रांक 428 दिनांक 14.07.2014 से अंचलाधिकारी, सरैंया से उक्त के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की थी, जिसे अंचलाधिकारी सरैंया अपने पत्रांक 1274 दिनांक 11.09.2014 से समर्पित कर दिया। जिला शस्त्र पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने भी पुलिस अधिक्षक से जाँच करवाया। पुलिस अधिक्षक मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक 137 दिनांक 18.02.2017 से अपना प्रतिवदेन समर्पित कर दिया । फिर भी अपीलकर्ता को जब उन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 9863/2018 दायर किया । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.06.2018 से जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर को आर्म्स रूल 2016 के नियम 25 के तहत सुनवाई करने का निदेश दिया । जिला शस्त्र दण्डाधिकारी ने शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अपने आदेश दिनांक 27.09.2018 से अस्वीकृत कर दिया। जिसके बाद अपीलकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 3794/2020 दायर किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 के आलोक में यह वाद इस (आयुक्त) न्यायालय में दायर है। आगे अपीलकर्ता के	

WEB COPY NOT OFFICIAL

विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि जिला शस्त्र दण्डाधिकारी ने अंचलाधिकारी, सरैंया के प्रतिवेदन का अवलोकन किये बगैर अपना आदेश पारित किया है क्योंकि अंचलाधिकारी, सरैंया एवं थाना प्रभारी, सरैंया ने अपीलकर्ता के पक्ष में अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा किया है एवं अपीलकर्ता अपने पिता के नाम की अनुज्ञप्ति को धारण करने हेतु सभी अर्हता पूरा करते है फिर भी उन्हें अनुज्ञप्ति नहीं दी गयी, जो आर्म्स रूल 2016 के प्रतिकूल है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता ए0टी0एम0 में गार्ड की नौकरी करते है इसलिए वे शस्त्र अनुज्ञप्ति चाहते है। जिला शस्त्र दण्डाधिकारी ने सत्यापनोपरांत अपीलकर्ता को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाया एवं उनके अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत किया है, जो सही है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है प्रस्तुत मामले में अपीलकर्त्ता द्वारा जिला शस्त्र दण्डाधिकारी को उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति अस्वीकृत किये जाने के आदेश के विरूद्ध अपनी अपील दायर की गयी है एवं इनका दावा है कि वे अनुज्ञप्ति हेतु सभी शर्ते पूरी करते है इसलिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं दिया जाना उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है तथा यह अनुज्ञप्ति पदाधिकारी की संतुष्टि/विवेक पर निर्भर है कि वह किसी शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर उसके गुण दोष के आधार पर विचारोपरान्त निर्णय ले एवं यदि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी यह पाते है कि किसी मामले में अनुज्ञप्ति आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है तो उसे स्पष्ट कारणों के साथ अस्वीकृत करने का अधिकार अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त

WEB COPY NOT OFFICIAL

	है । ऐसी स्थिति में यदि अपीलकर्त्ता के मामले में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने यह पाया है कि उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकता नहीं है तो जिला दण्डाधिकारी का आदेश तभी त्रुटिपूर्ण हो सकता है जबकि उनका आदेश मुखर नहीं हो अथवा उस आदेश में अस्वीकृति के कारण स्पष्ट नहीं किये गये हो । परन्तु प्रस्तुत मामले में जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से इनके मामले में यह अंकित करते हुए कि उन्हे (अपीलकर्ता) किसी से कोई विवाद नहीं है। साथ ही शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु किसी स्पष्ट कारण की अनुशंसा अंकित नहीं रहने के कारण उनके अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में भी केवल अपने पिता के नाम की अनुज्ञप्ति को अपने नाम किये जाने का दावा किया जा रहा है, परन्तु उन्हे अनुज्ञप्ति की आवश्यकता क्यों है, उन्हें किससे एवं किस प्रकार का खतरा है के संबंध में कुछ नहीं बताया गया है। थानाध्यक्ष सरैंया द्वारा दिये गये प्रतिवेदन मे भी अंकित है कि आवेदक अपने पिता के नाम पर निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित कर ए0टी0एम0 गार्ड की नौकरी में इस्तेमाल करना चाहते है, जबकि अनुज्ञप्ति व्यक्ति को स्वयं या अपनी सम्पति की सुरक्षा हेतु निर्गत की जाती है। जिला शस्त्र दण्डाधिकारी ने भी थानाध्यक्ष के अनुशंसा के अभाव एवं जान माल का खतरा होने के बिंदु पर स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं रहने के कारण ही अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आयुक्त आयुक्त।	

WEB COPY NOT OFFICIAL